

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जीएनएम/जी-88/2013/

दिनांक :


आदेश

राज्य सरकार के पत्रांक प. 25 (26) चिस्वा./गुप-3/ दिनांक 08.08.2013 द्वारा एसीबी में प्राथमिकी दर्ज संस्था श्रीजी नर्सिंग इन्स्टीट्यूट, नाथूवास, नाथद्वारा राजसमन्द को सत्र 2013-14 से आगामी आदेशों छात्र आवंटन पर प्रतिबन्ध लगाया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की एकलपीठ याचिका संख्या 10482/2013 द्वारा श्रीजी नर्सिंग इन्स्टीट्यूट, नाथूवास, नाथद्वारा राजसमन्द बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 03.09.2013 की पालना में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक : प. 25 (143) चिस्वा./गुप-3/2010 पार्ट दिनांक 30.09.2013 के अनुसरण में उक्त संस्थान को याचिका में अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन सत्र 2013-14 से आगामी आदेशों तक छात्र आवंटन की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त संस्थान का नाम विभाग द्वारा जारी निजी नर्सिंग स्कूलों की सूची में निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

क्र.स.	अंतिम सूची में क्र.स.	संस्थान का नाम	जिला	कुल सीटे	50 प्रतिशत राजकीय कोटे से	50 प्रतिशत फैंडरेशन कोटे से	विशेष विवरण
1.	133.	श्रीजी नर्सिंग इन्स्टीट्यूट, नाथूवास, नाथद्वारा, राजसमन्द	राजसमन्द	50	25	25	

छात्रों को जारी किये जाने वाले उक्त संस्थान के आवंटन पत्रों पर अंकन किया जाना अनिवार्य होगा कि "उक्त संस्थान में दिया जाने वाला प्रवेश माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्यक्षीन होगा।"


(के०एल० स्वामी)

अति० निदेशक (प्रशा.)

दिनांक : 03/10/2013

क्रमांक : प्रशि./जीएनएम/जी-88/2013/562

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
3. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय बैवसाईट पर अपलोड करे।
4. सचिव, राजकीय प्राईवेट नर्सिंग स्कूल फैंडरेशन ई-277, लाल कोठी स्कीम, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, संबंधित निजी नर्सिंग स्कूल्स।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(के०एल० स्वामी)

अति० निदेशक (प्रशा.),

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज. जयपुर